(97)

No.11035/12/2013 -NI-III
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
(HR Division)

NDCC-II Tower, 'A'-Wing,
4th Floor, New Delhi -110001.
Dated the 4th July, 2013

To,

The Secretary,
National Foundation for Communal Harmony,
9th Floor, Lok Nayak Bhawan,
New Delhi -110003.

Subject: Transfer of the RTI application.

Please refer to the RTI Cell's OM No. A-43020/01/2013-RTI dated 31.5.2013 forwarding the RTI application dated 06.5.2013 of Smt. Shashi Prabha Agarawal seeking information regarding National Communal Harmony Award 2011, received in this Division on 20.6.2013 (copy enclosed)

2. Since the information requested by the applicant under point 1 to 3 is concern of the National Foundation for Communal Harmony (NFCH), the application is transferred to the NFCH under section 6(i) of the RTI Act, 2005 for necessary action.

3. So far as point 4 is concern a copy of RTI application dated 06.5.2013 is being circulated to all the CPIOs of this Ministry with the request to provide requisite information directly to the applicant on Point 4.

Encl: As above.

(Dr. R.K. Mitra)
Joint Secretary (NI) & CPIO
Tel: 23438111

US (BM-VI)

Copy to:

(By Speed Post)

Smt. Shashi Prabha Agrawal, R-10, HIG Sector-23, Sanjoy Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh with request to approach various other Minister/Department about the awards if any instituted by them on Point 4 which are under preview of other CPIOs of the various Ministries / Departments. As per information available with the undersign CPIO, the Govt. Of India instituted a National Award designated as "Kabir Puraskar", to promote communal, caste and ethnic harmony. These awards are announced on 2nd October every year. The details of the same are available in the web link http://mha.nic.in.

2. CPIOs of MHA (as per list attached) for taking appropriate action in respect of Point 4 of the RTI application dated 06.5.2013 and providing the requisite information directly to the applicant.

3. Shri S. Samanta, US (RTI) /CPIO, MHA, New Delhi w.r.t. OM No. A-43020/01/2013-RTI dated. 31.5.2013.

RTI-14/NI-III/13
2/6
आर टी आई मामला/संख्या
(98)

RTI-155/JS(NI)/13
20/6/13

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 31/05/, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री...शशी प्रभा अग्रवाल ....का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री.....शशी प्रभा अग्रवाल.............के दिनांक 21/5/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में ....—........से अंतरण द्वारा दिनांक 27/05/2013 को प्राप्त) को ....एन आई......... प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 21.05/2013 को रसीद सं......25754.........के तहत जमा कर दिया है (संलग्न) नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

संलग्नक : यथोपरि

सु. सामंत
(सु. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
......निदेशक (एन. आई.)
गृह मंत्रालय
एन डी सी सी - II भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :
श्री/श्रीमती/सुश्री
शशी प्रभा अग्रवाल
एफ-10, एच आई जी
सेक्टर-23, संजयनगर
गाजियाबाद (उ. प्र.)
(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

RTI
Db 20/6/13 PL-Put up
R.O. (NI-VIII)
20/6/13
2016
NI-3
Sh. Das

2

99

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6

(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i)

रसीद / RECEIPT

सं. /No. **24754**

दिनांक 20
Dated 28/12/2013

श्री/श्रीमती/सुश्री
Received From Shri/Smt./Km. ....

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ ..... के दिनांक 20
with Letter No./Reference No. .... Dated..........20.........

बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या
Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No. ....

के रूप में रूपये की नकद धनराशि
the sum of Rupees by Cash ....

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।
on account of fee under Right to Information Act 2005.

आद्याक्षर / Initials

रूपये / *Rs.* ....

पदनाम / Designation

(10) (3)

<u>आर टी आई मामला/समयबद्ध</u>

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक: 10/05/,2013

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी शशि प्रभा अग्रवाल **का आवेदन।**

*****

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपने दिनांक 6/5/2013 के आवेदन का अवलोकन करें जो इस मंत्रालय में दिनांक 07/05/2013 को------------द्वारा अंतरण से प्राप्त हुआ था। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियंत्रण) नियमावली के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध 10/- रु. के आवेदन शुल्क के साथ होना चाहिए, जो कि उपयुक्त रसीद प्राप्त कर नकद अथवा उस लोक प्राधिकारी, जिससे सूचना मांगी जा रही है, के "<u>लेखा अधिकारी</u>" को देय उपयुक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक या भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से दिया जा सकता है।

RTI

2. आपके ऊपर-उल्लिखित सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन में निम्नलिखित कमियां पाई गई थी:

i) 10/- रु. का शुल्क प्रेषित नहीं किया गया है जो कि गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी के लिए आवश्यक है।

3535/RTI(1)/13 28/5

ii) शुल्क को कोर्ट फी स्टैम्प/गैर-न्यायिक पेपर/अकाउंट पेई चैक/ डाक टिकट/ ---------- के माध्यम से भुगतान किया गया है, जो कि अधिनियम के अंतर्गत भुगतान का वैध माध्यम नहीं है।

iii) ---------/-रु. का डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर प्रस्तुत किया गया है, जो कि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शुल्क नहीं है।

DIR(NL)

iv) प्रस्तुत किया गया ~~डिमांड ड्राफ्ट~~/भारतीय पोस्टल ऑर्डर उचित प्राधिकारी के पक्ष में देय नहीं है। यह **"लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय"** के पक्ष में देय होना चाहिए।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आपके सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन को 10/रु. के आई पी ओ/~~डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक/गैर-न्यायिक पेपर/कोर्ट फी स्टाम्प/~~----------(सं. 14F 452067) के साथ मूल रूप में वापिस किया जाता है। एवं सं 02F 181131 दो

<u>संलग्नक</u>: उपर्युक्त के अनुसार

नई दिल्ली/New Delhi-1 27 MAY 2013 976/SI

Returned back w/o covering letter for applicant to DHA on 27/5/13

(श्रीनिवास प्रधान)
उप सचिव (ई) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में

श्री/श्रीमती/सुश्री---- शशि प्रभा अग्रवाल
एफ-10, एल.आई.जी
सै. 22-23
... नगर
...

21/5/13
निस्तारित (...) ...
प्रेषित

(101) (4)

दिनांक ~~13.02.2012~~ 06.05.2013

09 MAY 2013

598

3000/R/12/2013
1015/13

श्रीमान सचिव

गृह मंत्रालय भारत सरकार

नई दिल्ली

विषयः— सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत आवश्यक जानकारी।

महोदय,

पिछल वर्ष आपके कार्यालय पत्रांक सं0 D.O. No 4/2(1)/2011-NFCH dt-12.5.2011 के द्वारा राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार 2011 देने हेतु नामांकन मांगे गये थे इस संदर्भ में मुझे आपसे निम्नलिखित जानकारियाँ चाहियें.......

1. वर्ष 2011 में उपरोक्त पुरस्कार किस महानुभव/संस्थाओ को दिये गये उनका विवरण।
2. क्या वर्ष 2012 में भी राष्ट्रीय सम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार दिये जाने की योजना है यदि हॉ तो इसके नामांकन हेतु कब जानकारी मांगी जायेगी।
3. क्या राष्ट्रीय सम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा दिये जाते है।
4. सर्व समाज के लिये निस्वार्थ भावना से कार्य करने वाली संस्थाये/व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार द्वारा कौन—कौन से पुरस्कार वर्ष में घोषित किये जाते है विवरण सहित।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी सूचना अधिनियम के अर्न्तगत अविलम्ब देने की कृपा करें निर्धारित शुल्क पोस्टल आर्डर के रूप में संलग्न है।

संलग्न—10रू0 का पोस्टल आर्डर

IPO — 18113
(52067)

भवदीय

शशी प्रभा

(शशि प्रभा अग्रवाल)

एफ—10 एच.आई.जी. सै0—23

संजयगनर गाजियाबाद

Fee clause

(102)

तत्काल
सूचना के अधिकार

सं0 17014/02/2013–बी0एम0–VI
गृह मंत्रालय
सीमा प्रबंधन विभाग
(एन0डी0सी0सी0–II बिल्डिगं)
नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई'2013

सेवा में,

16 JUL 2013

श्रीमती शशि प्रभा अग्रवाल,
एफ–10, एच.आई.जी. सैक्टर–23,
संजय नगर, ,
जिला : गाजियाबाद
राज्य : उत्तर प्रदेश

विषय – सूचना के अधिकार अधिनियम– 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना

....

महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका आवेदन दि. 06.05.2013 जो इस विभाग को दिनांक 09.07.2013 को अवर सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के मार्फत प्राप्त हुआ के माध्यम से सर्व समाज के लिए निस्वार्थ भावना से कार्य करने वाली संस्थाये/व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा, कौन–कौन से पुरस्कार वर्ष में घोषित किये जाते है विवरण सहित के बारे में सूचना मांगी है। (बिदुं–4)

2. आपको यह सुचित किया जाता है, कि सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय इस सबंध में किसी भी प्रकार का पुरस्कार प्रदान नहीं करता है।

3. यदि आप उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत निम्नलिखित को अपील कर सकते है–

श्री दीपक कुमार ,
सं0 सचिव व अपीलिय अधिकारी,
सीमा प्रबंधन विभाग,
गृह मंत्रालय,
एन0डी0सी0सी0–II बिल्डिगं,
जय सिंह मार्ग,
नई दिल्ली

भवदीय
16/7/13
(अमित निर्मल)
उप सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
(बी0एम0–III)

O/C